>

Title: Need to provide compensation under calamity Relief Fund to the farmers whose houses and crops have been damaged by cyclone and rains in northern parts of Gujarat.

MR. SPEAKER: Mr. Madhusudan Mistry, please go to your seat and speak on the issue relating to calamity relief.

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): अध्यक्ष जी, गुजरात में पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा साइक्लोनिक स्टोर्म आया, जिसकी वजह से गांव के लोगों का गेहूं और उसके दाने जो बाहर रखे हुए थे, वे उड़ गये, केवल उनका हस्क रह गया। साथ ही मकानों के पतरे, टीनें वगैरह उड़ गयीं और उनका काफी मात्रा में नुकसान हुआ। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज्य के एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने कहा कि एक भी पैसा कंपनसेशन का नहीं दिया जाएगा। करीब 600 करोड़ रुपया स्टेट के पास प्राकृतिक आपदा फंड का है। नेशनल कैलेमिटी रिलीफ फंड के अंदर 75 प्रतिशत ग्रांट सेंटर से दी जाती है। उस 75 परसेंट पैसे से, जिन किसानों का पूरा माल चला गया, जिनके गेहूं भीग गये, उड़ गये, उनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए।

MR. SPEAKER: Why are you bringing all this confrontation? Please mention the issue which is more important.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देने के लिए कहना चाहिए। नेशनल कैलेमिटी रिलीफ फंड के ऊपर स्टेट आर्बिट्रिली डिसाइड नहीं कर सकता है कि किसानों को पैसा नहीं मिलेगा। जबकि तथ्य यह है कि स्टेट के पास नेशनल कैलेमिटी रिलीफ फंड का पैसा पड़ा हुआ है। ...(व्यवधान)[r16]